



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत) Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY,
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech. Approved by (AICTE)



संख्या-638/भा.विवि/कुसका/2021
दिनांक : २४ जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-28 के अधीन मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यादेश के प्राविधानानुसार प्रवेश समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	गठन का स्वरूप	पदनाम	अवधि
1	प्रो0 अनिल कुमार शुक्ल, कुलपति	अध्यक्ष	पदेन
2	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष	सदस्य	पदेन
3	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, संकायाध्यक्ष	"	"
4	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष	"	"
5	प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष	"	"
6	डॉ0 नीरज शुक्ल, समन्वयक-एन0एस0एस0	"	"
7	डॉ0 बुशरा अलवेरा, एन0सी0सी0 अधिकारी	"	"
8	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य	"	01 वर्ष
9	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य	"	"
10	डॉ0 पूनम चौधरी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि	"	01 वर्ष
11	डॉ0 ततहीर फातिमा, मा0 सदस्य कार्य परिषद्	"	01 वर्ष
12	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, मा0 सदस्य विद्या परिषद्	"	01 वर्ष
13	डॉ0 प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक	"	पदेन
15	श्री संजय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी	"	"
16	श्री संजय कुमार, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	सचिव	"

(संजय कुमार)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. मा0 सदस्यगण कार्य परिषद्, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
5. समस्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य
6. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव

कुलसचिव।